निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 53/2022
दायरा दिनांकः–20.06.2022
निर्णय दिनांकः– 25.2.25

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र कल्याण जाति धाकड
2. नन्दकिशोर पुत्र कल्याण जाति धाकड
3. कन्हैयालाल पुत्र कल्याण जाति धाकड
4. राजेन्द्र कुमार नागर पुत्र रामदयाल जाति धाकड निवासीगण कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. द्वारकीलाल पुत्र छोटिया जाति धाकड निवासी ग्राम कोलूखेडा
2. लाडबाई पत्नि मुकेश कुमार जाति धाकड निवासी ग्राम कोलूखेडा
3. बिरधीलाल पुत्र देवलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कोलूखेडा
4. मुकेश पुत्र बद्री जाति धाकड निवासी ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट
निर्णय दिनांकः– 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश सोनी– प्रार्थी
2. चिंरोजी लाल भार्गव – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अंशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ग्राम कोलूखेड़ा के स्थाई निवासी है, जिनकी कृषि भूमि ग्राम कोलूखेड़ा में मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 145/137 की खसरा नंबर 446 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जिसमें आने जाने का कोई रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड व मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण काश्त करने के लिए खेत खाली होते हैं, तब अपने खेत में हंकाई बुवाई का कार्य करते हैं. प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने व ट्रेक्टर कृषि यंत्र लाने ले जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण का खेत कोलूखेड़ा से उमरथना रोड़ से दो खेत छोड़कर स्थित है. दोनों खेतों के खसरा नंबर कमशः 437 व 445 है, खसरा नंबर 437 का खेत अप्रार्थी कम 3 व 4 का है तथा खसरा नंबर 445 का खेत अप्रार्थी कम 1 व 2 का है, खसरा नंबर 296/519 रेवेन्यू रिकार्ड में गैर मुमकिन नाला दर्ज है, मौके पर कोई नाला

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मौजूद नहीं है तथा खसरा नंबर 439 रोड़ कोलूखेड़ा से उमरथना का स्थित है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 446 में आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 437 व 445 की मेड पर होकर ए से बी स्थान तक 12 फुट चोड़ा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नंबर 446 में काश्त करने हेतु ए से बी रास्ते का उपयोग व उपभोग कर अपनी कृषि भूमि को काश्त कर सके, कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि ला और ले जा सके। प्रार्थीगण नियमानुसार सरकारी कीपत की राशि भी अप्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है। भूमि खसरा नंबर 296/519 सरकारी गैर मुमकिन नाला है, जो राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब के आधिपत्य में होने से उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का इसके अलावा ओर कोई रास्ता मौजूद नहीं है, ए से बी स्थान के अतिरिक्त ओर कोई सुलभ रास्ते का विकल्प भी मौजूद नहीं है। जिसमें होकर बरसात के समय ट्रेक्टर को लेकर अपने खेतों में आया व जाया जा सके। कोलूखेड़ा से उमरथाना का डामर रोड़ मौजूद है, ए से बी स्थान से नजदीक ओर कोई विकल्प भी मौजूद नहीं है, प्रार्थीगण को ए से बी स्थान पर 12 फुट चोडा रास्ता दिलाया जावे ताकि प्रार्थीगण सुविधाजनक रूप से अपने खेत में काश्त कर सके और आ जा सके। पूर्व में मेडों की चोड़ाई लगभग 8 फुट चोड़ी थी, जिसमें होकर प्रार्थी अपने खेत में आसानी से आ जा सकता था, किंतु मेड़ों को फाड़–तोड़कर अपने खेतों में मिला लेने से मेड़ों की चोड़ाई समाप्त हो गई है और प्रार्थीगण का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण नियमानुसार अपने खेतमें आने जाने हेतु ए से बी रास्ता चाहता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 145 नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 166 नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 18 नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कोलूखेडा पेश किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में वाद पत्र माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम छबडा प्रकरण संख्या 71/92 उनवान कल्याण बनाम रामनारायण नक्शा ट्रेस राजीनामा दिनांक 15.02.1993 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें आने जाने का कोई रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड व मौके पर मौजूद नही है प्रार्थीगण को काश्त करने के लिए खेत खाली होते है तब अपने खेत मे हंकाई बुवाई का कार्य करतें है प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व ट्रेक्टर कृषि यन्त्र लाने ले जाने का कोई रास्ता मौजुद नही है प्रार्थी का खेत उमरथाना से कोलूखेडा रोड से दो खेत छोडकर स्थित है दोनो खेतो के खसरा नम्बर 437 व 445 है खसरा नम्बर 296/519 रेवेन्यू रिकार्ड में गैर मुमकिन नाला दर्ज है मौके पर कोई

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नाला मौजुद नही है प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 446 में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर खसरा नम्बर 437 व 445 की मेड पर होकर A B स्थान तक 12 फुट चौडा अप्रार्थीगण से दिलाया जावें। जिससे प्रार्थीगण अपने खेत पर कृषि यन्त्र लेकर जा सकें। इसके अलावा सुलभ ओर नजदीक रास्ते का विकल्प मौजूद नही है प्रार्थीगण को 12 फुट चोडा रास्ता दिलाया जावें ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में काश्त कर सकें ओर आ जा सके। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा नया रास्ता कायम किये जाने का षड्यन्त्र है प्रार्थीगण को अपने खेत खाता नम्बर 145/137 खसरा नम्बर 446 रकबा 8.10 बीघा भूमि पर आने जाने के लिए कदीमी तोर से रास्ता कायम है प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के जमाने से इसी कदीमी रास्तें से आते जातें रहे है जो स्कूल के पीछे से जाता है जिसे माल की गडार कहतें है इसी रास्ते से सभी कृषक आते जाते है यह रास्ता बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है नई सडक बन जाने से यह नया रास्ता बनाना चाहतें है अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से नया रास्ता मांगतें है अप्रार्थीगण की भूमि से लगी हुई भूमि नरेन्द्र गुर्जर की है दोनो के मध्य मेड है प्रार्थीगण मात्र अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता लेना चाहतें है यदि प्रार्थीगण नया रास्ता लेना चाहतें है तो दोनो की भूमि से आधा आधा रास्ता मांगना था जो नही मांगा जो अप्रार्थीगण को क्षति पहुचानें के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई है। न्यायालय में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ था। जिसमें वादी के पिता कल्याण द्वारा खसरा नं. 446 में पहुचने हेतु रास्ते की सहमति दी थी अर्थात पहले से रास्ता उपलब्ध है इसलिए धारा 251ए के तहत नया रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 437 व 445 की मेड से खसरा नम्बर 446 की भूमि पर जाने के लिए रास्ता चाहतें है यह रास्ता कोलूखेडा से उमरथाना जाने वाले रोड से चाहा गया है प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर जाने के लिए इस रासते के अलावा और कोई रास्ता नही होना बताया है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कोलूखेडा की आराजी खसरा नम्बर 446 रकबा 2.1497 है भूमि खातेदार कन्हैयालाल पुत्र कल्याण हिस्सा 1/4 नन्दकिशोर पुत्र कल्याण हिस्सा 1/4 प्रभूलाल पुत्र कलयाण हिस्सा 1/4 राजेन्द्र पुत्र रामदयाल हिस्सा 1/4 जाति धाकड सा0देह कोलूखेडा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है मौके पर उपस्थित खातेदार नन्दकिशोर पुत्र कल्याण एवं चेतन पुत्र नन्दकिशोर की उपस्थित में खसरा नम्बर 446 पर प्रार्थी द्वारा दर्ज प्रकरण का मौका देखा गया जो खसरा नम्बर 438 खसरा नम्बर 437 एवं खसरा 445 की मेड पर होकर मांग की गई है खसरा नम्बर 438,437,445 की मेड की लम्बाई खसरा नम्बर 446 तक लगभग 735 फिट है मांग की गई रास्ते का कुल क्षैत्रफल 735x12= 8820 वर्गफिट है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 438,437,445 की मेड से रास्ता चाहतें है जबकि खसरा नम्बर 438,437,445 की मेड खसरा नम्बर 446 तक रास्ता दिया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 446 तक जाने के लिए प्रार्थी के पिता राजीनामा के तहत रास्ते हेतु सहमति दी गई थी। प्रार्थी द्वारा इस उपलब्ध रास्ते के सम्बन्ध में तथ्य नहीं बताकर नवीन रास्ता चाहा जा रहा है। धारा 251ए के तहत केवल अत्याधिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग के अभाव होने की स्थिति मे ही नया रास्ता कायम करने के प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में इंगित ए से बी में खसरा नं. 438 गै. मु. नाला है जिसमे नियमानुसार रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। साथ ही प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 437 व 445 की मेड के सहारे रास्ता चाहा जा रहा है परंतु इसके लगवा खसरा के खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया हैं केवल एक ही खेत के कास्तकारों पर रास्ते का भार डाला जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को चाहा गया अनुतोष प्रदान करना संभव नहीं है। उपरोक्त के क्रम में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा